

फर्द अहकाम
(नियम 26)


नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाईनेन्स लि० बनाम श्री रमेशचन्द गुर्जर

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र रिब्यू

नम्बर 15/09/2019

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.07.19	<p>आज यह प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं। प्रार्थी वकील द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी (मूल प्रकरण में प्रार्थी) की तलबी हेतु तलबाना आदिनांक तक पेश नहीं किया गया और ना ही आज उपस्थित आयें, प्रार्थी वकील को बार-बार आवाज दिलाई गई उपस्थित नहीं आएँ। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2019 का अवलोकन किया।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के संबंध में पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2018 को आदेश दिये जा चुके हैं कि धारा 14 सिक्योरटाईजेशन एक्ट का स्रोत सीमित है। इस में secured creditor को रहन सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु वांछित सहायता उपलब्ध करवाना होता है। ऋण देने ओर लेने वाले के बीच में रहन रखी सम्पत्ति बाबत निर्णय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। यदि आवेदक इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2018 से आहत है तो धारा 17 में डी०आर०टी० जयपुर में अपील करने के लिए स्वतंत्र है।</p> <p>अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2018 में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी मै० रमेशचन गुर्जर पुत्र श्योदान गुर्जर निवासी लाहा का बास भांगडोली गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र रिब्यू खारिज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 16-07-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


जिला कलक्टर, अलवर।